



कार्यालय, जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र, जबलपुर

आवेदन क्रमांक: 164958

आवेदन का प्रकार : नवीनीकरण मान्यता

मान्यता दिनांक - 23/03/2023

प्रति,

अध्यक्ष,

Hitkarini Sabha

Hitkarini Children Academy Dumna Road

JABALPUR (URBAN), जबलपुर, मध्यप्रदेश

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 04/02/2023 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपके - Hitkarini Children Academy Dumna Road स्कूल आईडी -PS93467 विकासखंड-JABALPUR (URBAN) को स्कूल का प्रकार प्राथमिक सह माध्यमिक, शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी कक्षा प्री प्राइमरी-नर्सरी से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2023 से 31/03/2026 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

1. मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
2. स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के बीचित समूह तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
5. सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
6. स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
 - (क) आयु के सबूत के आभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात्यात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
7. स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
 - (क) प्रायमरी स्कूल में किसी प्रवेशित बालक को स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (ख) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कक्षा 5 एवं 8 को छोड़कर अन्य कक्षाओं में बाधा रहित कक्षोन्तति प्रदान की जायेगी।
 - (ग) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - (घ) नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
 - (ङ) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दिव्यांग/विशेष आवर्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - (च) अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित योग्यता अनुसार शिक्षक ही कार्यरत रहे जायें। स्कूल में अधिनियम की धारा 19 एवं 25 में उल्लेखित मापदंडों के पूर्ति करते हुये मान्यता अवधि तक शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था बनाए रखी जायेगी।
 - (ज) शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके कर्तव्यों का पालन करना होगा; HITKARINI SABHA JABALPUR
 - (ज) प्रायवेट शिक्षण की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।

Principal
Hitkarini Children Academy
Dumna, Jabalpur

JOINT SECRETARY
HITKARINI SABHA
JABALPUR

- (ज) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो।
- (ज) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए।
- मध्यप्रदेश निजी विधालय विनियम बोर्ड के नियमों के अनुसार ही फीस में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।
8. स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाद्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
 9. स्कूल अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में बालकों का नामांकन करेगा।
 10. स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निमानुसार पाई गयीं-

स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन
स्कूल परिसर का क्षेत्रफल	68967
कुल निर्मित क्षेत्रफल	27387
खेल मैदान का क्षेत्रफल	41580
कक्षाओं के कमरों की संख्या	12
प्रधानाध्यापक कक्ष-सह-कार्यालय-सह-स्टोर कक्ष	3
लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक् प्रसाधन	हाँ
स्वच्छ पेयजल सुविधा	हाँ
मध्यान्ह भोजन के लिए रसोई घर	1
बाधा रहित प्रवेश की सुविधा	हाँ
पठन-पाठन सामग्री	हाँ
खेल एवं खेलकूद उपकरण	हाँ
पुस्तकालय की उपलब्धता	हाँ
शिक्षकों की संख्या	12

11. लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा जाएगी।
12. आपके स्कूल को आवंटित मान्यता कोड नम्बर 93467 है। इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
13. स्कूल ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो स्कूल शिक्षा विभाग/राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
14. यदि कोई शाला उसके छात्रों को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराती है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि वाहन हेतु सरकार द्वारा यथा विहित सुरक्षा सन्नियमों का पालन हो रहा है। शाला को स्कूल बसों में महिला कंडक्टर की उपलब्धता के संबंध में समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
15. सोसायटी/न्यास, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
16. अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,

जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा केन्द्र

Digitally signed by YOGESH SHARMA
Date: 2023.03.23 11:55:13 +05:30
Reason: RTE school recognition
Location:

* मान्यता प्रमाण पत्र जिला परियोजना समन्वयक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है, भौतिक हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है।

Principal
Hikarini Children Academy
Dumna, Jabalpur

JOINT SECRETARY
HIKARINI SABHA
JABALPUR



कार्यालय, लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश
(नवीन मान्यता प्रमाण पत्र)



क्रमांक/CERT11099/2022/DPI2210198
प्रौद्योगिकी

जबलपुर, दिनांक 19-03-2024

Hitkarini Children Academy Dumna

विषय - नवीन मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने विषयक

मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला मान्यता नियम 2017 के नियम (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपके आवेदन पत्र क्र. DPI2210198 दिनांक 14-11-2021 में प्रस्तुत की गयी जानकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी जिला JABALPUR के द्वारा किये गए परीक्षण के आधार पर हाई स्कूल (HS) स्कूलों की नवीन मान्यता प्रदान की जाती है जिसका विवरण निम्नानुसार है :

शाला का नाम : Hitkarini Children Academy Dumna

शाला का DISE कोड : 23390232001

शाला का प्रकार : हाई स्कूल (HS)

माध्यम : English

वैधता सत्र (पाँच वर्ष) : से तक

- 1 स्कूल के कामों व संकार्यों में प्रवेश ने सक्षम जिनके लिए कही मान्यता दी गई है।
- 2 साथम् वैष्णवी द्वारा मान्यता दी उत्तम विकास संबंधी नारी प्रमाण - पत्र प्राप्तार्थी कंश में प्रदर्शित किया जायेगा।
- 3 स्कूल में कागिरत प्राप्तार्थी एवं अन्य विद्यार्थी एवं कागिरती किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगी और स्कूल द्वारा जारी की जानकारी के लिए विद्यार्थी एवं कागिरती को लाल और अन्य ऐसे समृद्ध अभिलेखों का संधारण करेगा। निर्भागान् अधिकारी आकारमय रूप से कभी भी इन अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेंग।
- 4 स्कूल कागिरतण के लिए आवश्यक विद्यार्थी एवं कागिरती के लाल और अन्य ऐसे समृद्ध अभिलेखों का संधारण करेगा।
- 5 स्कूल में विद्यार्थी के पालकों की गांगीदारी सुनिश्चित करने हेतु "पालक - शिक्षक संघ" का गठन किया जावेगा।
- 6 स्कूल ब्रैड कालीनिक युवाओं के साप्तदाह प्राप्त करने हेतु यत्तत प्रयास करेगा। प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि में समस्त विद्यार्थी को उनके सम्बन्धित विषय में कम से कम एक बार प्रायोगिक किया जायेगा।
- 7 समयक निरीक्षण के पश्चात् एक बार मान्यता प्रदान के लिए जाने पर सोसायटी/ट्रस्ट मान्यता के समय दावाकृत किसी भी मापदण्डों को पारवाती नहीं करगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट किसी मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संघका संचालक को नियम 11 के उपनियम(1)में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए स्कूल की मान्यता निलंबित करने वाले पश्चात् उस द्वारा नापास लाने की शक्ति होगी।
- 8 नियम 5 और 9 के अधीन विदेश मान्यती शर्तों और उत्तरदायित्वी तथा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं मार्गदर्शकों प्राप्त उपलब्धी पालन नहीं किया जाना पाया जाता है तो व्याहस्ताकारकती को जीवंत के आधार पर स्कूल की मान्यता निलंबित करने की शक्ति होगी।
- 9 कारण विद्यार्थी सुरक्षा पर जारी किए जाने वाले दशा में यदि रायायती/ट्रस्ट से प्राप्त उत्तर से संभागीय संयुक्त संचालक का सम्मान नहीं होता है तो वह सम्बन्धित को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् स्कूल की मान्यता उसके कारण निलंबित करते हुए रद्द कर सकता।
- 10 मान्यता के प्रत्याहरण द्वारा पर प्रस्तुत की गई संरक्षा नीति को पूछतः या अंशतः जेरा कि जात्यश में विनिर्दिष्ट किया जाना समाप्त हो जायेगा।
- 11 मान्यता के विद्यार्थी गतिशील से सम्बद्धता प्राप्त करने वालवारी होगी।

Principal
Hitkarini Children Academy
Dumna, Jabalpur

Digitally Signed By Pracheesh Jain (Personal)
Date : 19-Mar-2024 16:26:49 IST